न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 84/2013

रामनरोत्त पुत्र श्री गंगाराम जाति मीणा निवासी भोज्याहेडी तहसील मांगरोल जिला बारां

.... प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. रामगोपाल पुत्र श्री बिरधीलाल जाति मीणा निवासी भोज्याहेडी तह0 मांगरोल जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : हिम्मताराम मेहरा (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री अजीत कुमार जैन

वकील अप्रार्थी : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

निर्णय दिनांक : 20.07.2017

दायरा दिनांकः 11.12.2013

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता गंगाराम के खाते की आराजी ग्राम भोज्याहेडी तहसील मांगरोल के खाता मोजा भोज्याहेडी निजामत मांगरोल में सम्वत 2005 से 2008 में गंगाराम बेटा के नाम से साबिक खसरा नं0 583/218–230–229 की 5 बीघा 9 बिस्वा भूमि स्थित थी, जो नजरी नक्शा सम्वत 1906 व 1907 में वर्णित की गई है। उक्त भूमि के सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट ग्राम भोज्याहेडी के मिलान क्षैत्रफल में निम्न प्रकार अंकित हैः–

साबिक खसरा नं0	रकबा	हाल खसरा नं0	रकबा
218	1 बिस्वा	111 मी0	1 बिस्वा
229	2 बिस्वा	110 मी0	1 बिस्वा
230	6 बिस्वा	111 मी0	1 बिस्वा
		111 मी0	1 बिस्वा
		110 मी0	4 बिस्वा
		222 मी0	1 बिस्वा

इस प्रकार सेटलमेंट विभाग ने 218, 229 व 230 की 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 के 6 टूकडे कर मिन नम्बर डालते हुए कायम किये गऐ। सम्वत 2024 से 2027 की जमाबंदी में भी सम्वत 2014 से 2023 के मिलान क्षैत्रफल में 111 के मिन नम्बर के मुताबिक उक्त तीन टूकडे करते हुए 111 की 3 बिस्वा भूमि बतौर खाते दर्ज की

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल

था खसरा नं0 110 मीन रकबा 9 बिस्वा 110 मीन रकबा 4 बिस्वा खसरा नं0 222 मीन रकबा 1 बिस्वा को लमेंट विभाग द्वारा सम्पादन कर प्रार्थी के खाते की भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया जबकि खसरा नं0 110 मिन की 5 बिस्वा व 222 मीन की 1 बिस्वा प्रार्थी के पिता के नाम खाते दर्ज होनी चाहिए। सेटलमेंट विभाग द्वारा मिलान क्षेत्रफल 2044 से 2063 हाल खसरा नं0 111 मिन के तीन टूकडे कर रकबा 1 बिस्वा 1 बिस्वा व 1 बिस्वा कुल 3 बिस्वा दर्ज किये तथा 110 के दो टूकडे कर 5 बिस्वा तथा 222 मिन के 1 बिस्वा दर्ज किया। सेटलमेंट विभाग की गलती से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खातो की भूमि साबिक खसरा नं0 213 की 9 बिस्वा के स्थान पर 111 की 3 बिस्वा तथा 110 की 5 बिस्वा तथा 222 की 1 बिस्वा कुल 9 बिस्वा भूमि दर्ज हुई उसके मुताबिक प्रार्थी अपने खाते में केवल 332 हाल खसरा नं0 222/318 रकबा 5 बिस्वा भूमि में से 3 बिस्वा दर्ज की है, तथा हाल खसरा नं0 110 की 0.06 है0 में 3 बिस्वा तथा 111 की हाल खसरा नं0 335 रकबा 0.02 है0 भूमि प्रार्थी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी नं0 2 उक्त भूमियों में जबरन नाला बनाकर रास्ता कायम करना चाहता है, जिसका कि उसको कोई कानूनी अधिकार हांसिल नही है, इसलिये उसने दिनांक 18.11.2013 को धमकी दी कि उक्त भूमियो में जबरन नाला बनाकर रहूंगा। जिसका कि उसको कोई कानूनी अधिकारात हांसिल नही है। इसलियें अप्रार्थी नं0 2 के विरूद्ध तुरन्त स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी व नालिशी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया गया। हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी एवं सम्पुर्ण विवेचनोपरान्त प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हुं कि जो मिलान क्षेत्रफल प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसका मिलान प्रार्थना पत्र में संदर्भित रकबा से नही हो रहा है अतः प्रार्थी द्वारा गलत मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया जाने से प्रार्थी को किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2017 को अदालत कोर्ट केम्प मांगरोल सरेईजलास सुनाया गया।

(हिम्मता राम मेहरा)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल